प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 30.09.2026**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान ट्यूबवेल चोरी की घटना कारित करते समय 02 ट्यूबवेल चोरों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था) में किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 मोटरसाइकिल टीवीएस (बिना नम्बर प्लेट), केबिल, स्टार्टर, , कटआउट, बिजली के तार, ऑपरेटर तथा ट्यूबवेल चोरी में प्रयुक्त उपकरण 03 प्लास, 04 पेचकस, हथौड़ा आदि सामान बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ट्यूबवेल चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2026 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा रात्रि गश्त की जा रही थी। इसी दौरान समय करीब 03:00 बजे नया गांव हमीदाबाद के जंगल में नहर के पास सड़क पर गश्त करते समय एक ट्यूबवेल पर टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा सतर्कतापूर्वक मौके पर पहुंचकर देखा गया कि 03 बदमाश ट्यूबवेल की दीवार में कुम्बल काटकर चोरी की घटना कारित कर रहे थे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों को

पकड़ने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में 02 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 01 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल दोनों बदमाशों को उपचार हेतु सीएचसी बागपत भेजा गया। मौके से गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 मोटरसाइकिल टीवीएस (बिना नम्बर प्लेट), केबिल, स्टार्टर, , कटआउट, बिजली के तार, ऑपरेटर तथा ट्यूबवेल चोरी में प्रयुक्त उपकरण 03 प्लास, 04 पेचकस, हथौड़ा आदि सामान बरामद हुआ है।

उक्त घटना के संबंध में कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-संजय पुत्र जयप्रकाश निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 50 वर्ष (घायलवस्था)

2-सलीम पुत्र नूर निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 38 वर्ष (घायलवस्था)

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनका फरार तीसरा साथी बड़ौत का रहने वाला है। तीनों मिलकर ट्यूबवेल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा इससे पूर्व भी कई स्थानों पर ट्यूबवेल चोरी की घटनाएं कारित कर चुके हैं। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर,
- 01 मोटरसाइकिल टीवीएस (बिना नम्बर प्लेट),
- केबिल, स्टार्टर, , कटआउट, बिजली के तार, ऑपरेटर
- ट्यूबवेल चोरी में प्रयुक्त उपकरण 03 प्लास, 04 पेचकस, हथौड़ा ।

गिरफ्तार अभियुक्त संजय का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 9/97 धारा 302 /201/120 /364 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
2-मु0अ0सं0 202/2000 धारा 379 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-मु0अ0सं0 202/2000 धारा 379 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
4-मु0अ0सं0 229/2000 धारा 379 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
5-मु0अ0सं0 3/2001 धारा 379 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
6-मु0अ0सं0 05/2001 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
7-मु0अ0सं0 202/2001 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।
8.मु0अ0सं0 1774/05 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।
9. मु0अ0सं0 97/08 धारा 3 यू0पी गुण्डा एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।
10.मु0अ0सं0 30/08 25/4 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत।
11.मु0अ0सं0 84/07 धारा 110 सीआरपीसी थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सलीम का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 380/2007 धारा 323/324/506/504 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
2-मु0अ0सं0 428/2007 धारा 110 सीआरपीसी थाना खेकडा जनपद बागपत।
3-मु0अ0सं0 910/2009 धारा 395/411 भादिव थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद ।
4-मु0अ0सं0 957/2009 धारा 147/148/149/307 भादिव थाना कविनगर जनपद गाजियबाद ।
5-मु0अ0सं0 961/2009 धारा 41/102 सीआरपीसी 411/414 भादिव थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद ।
6-मु0अ0सं0 404/2009 धारा 395/411 भादिव थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
7-मु0अ0सं0 499/11 धारा 379/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत।
8-मु0अ0सं0284/13 धारा 392/411 भादवि सरूरपुर जनपद मेरठ ।
9-मु0अ0सं0 159/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3. उ0नि0 दलजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
4. उ0नि0 मंजीत सिह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
5. है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
6. का0 467 टिंकू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 30.09.2026**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 661/26 धारा 64(1)/87/352/351(2) बीएनएस व 3(2)(V) SC/ST ACT से सम्बधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 661/26 धारा 64(1)/87/352/351(2) बीएनएस व 3(2)(V) SC/ST ACT से सम्बधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शकील पुत्र मोने निवासी परशुराम कालोनी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2.उ0नि0 अंकित कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3.का0 287 सतीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक-30.09.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है। उपरोक्त गिरफ्तारी बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 231/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोईन पुत्र अकबर नि0 ग्राम ककौर कला थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री सुजीत कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
2.उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।
3.है0का0 520 सरफराज खान थाना छपरौली जनपद बागपत।

4.है0का0 756 नौशाद अहमद थाना छपरौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बडौत दिनाँक 30.09.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 571/26 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4(1) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 571/26 धारा 137(2)/64(1) बीएनएस व 3/4(1) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- अपर्हता को दिनांक 26.09.2026 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिट्टू पुत्र हरवीर निवासी ग्राम बिजरौल थाना बड़ौत जनपद बागपत उम्र 21 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री रामकुमार थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।

2.है0का0 432 अनिल नागर थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।

3.रि0का0 168 अखिलेश कुमार थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना बिनौली साइबर टीम , जनपद बागपत

30-सितम्बर- 2026

थाना बिनौली साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि में से कुल-4,000/- रूपये वापस कराये गये–

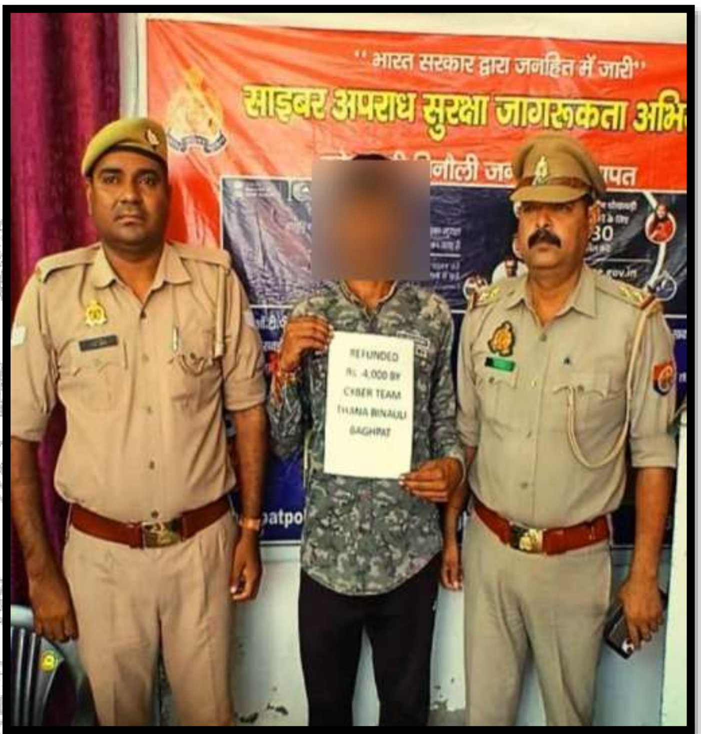

आवेदक/पीडित श्री पंकज पुत्र रोहताश निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी थाना बिनौली जनपद बागपत के खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 8,976 रुपये की धोखाधडी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने NCRP पोर्टल पर दर्ज करायी, जिसका ACK. N0- 33107250082452 है, शिकायत प्राप्त होने पर थाना बिनौली साइबर टीम द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी। पीडित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधडी से निकाली गई धनराशि में से कुल 4,000 रुपये वापस कराये गये ।

रुपये वापस मिलने पर आवेदक/पीड़ित द्वारा थाना बिनौली पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र0सं0	नाम थाना	प्रा0पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	33107250082452	4,000 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीमः-

1-प्र0 नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना बिनौली बागपत ।

2-उ0नि0 श्री पुलकित सिंह राहल थाना बिनौली बागपत ।

3-है0का0 801 सावन कुमार थाना बिनौली बागपत ।

4-म0का0 650 साधना थाना बिनौली बागपत ।

प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 30.09.2026**

थाना बिनौली पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त निर्भय पुत्र जिहान सिंह निवासी ग्राम सिरसिली थाना बिनौली के देवनगर कालोनी महदूद परगना ज्वालानगर थाना सिडकुल तहसील व जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड में बने मकान, जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड़ रूपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में आज दिनांक 30.09.2026 को थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)/3 गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित अभियुक्त निर्भय पुत्र जिहान सिंह निवासी ग्राम सिरसली, थाना बिनौली, जनपद बागपत द्वारा अपराधिक कृत्यों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त होकर अनुचित तरीके से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय बागपत के आदेशानुसार देवनगर कॉलोनी, परगना ज्वालानगर, थाना सिडकुल, तहसील एवं जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) स्थित अभियुक्त के मकान, जिसकी अनुमानित कीमत 01 करोड़ रूपये है को श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर बागपत व श्रीमान नायब तहसीलदार हरिद्वार द्वारा कुर्क किया गया तथा जब्त सम्पत्ति का प्रशासक भी नियुक्त किया गया।

कुर्क सम्पत्ति का विवरण-

- **एक मकान देवनगर कॉलोनी, परगना ज्वालानगर, थाना सिडकुल, तहसील एवं जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) – अनुमानित कीमत 01 करोड़ रूपये**

अभियुक्त निर्भय पुत्र जिहानसिंह का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-144/25 धारा- 61(2)/109(1)/352/103(1) BNS थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0-26/01 धारा 353/506 IPC व 39 विद्युत अधि0 थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0-271/16 धारा 47/148/149/302/120B IPC थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0-41/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0-379/17 धारा 506 IPC थाना बिनौली जनपद बागपत

6-मु0अ0सं0 01/2026 धारा 2(ख)1/3 गैंगस्टर अधि0 थाना बिनौली जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक- 30.09.2026

"ऑपरेशन स्माइल" अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया सुपुर्द ।

संक्षिप्त विवरणः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2.म0है0का0 423 प्रियंका थाना रमाला जनपद बागपत ।

3.रि0का0 636 अंशिका त्यागी थाना रमाला जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला दिनाँक 30.09.2026

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अंतर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से 01 अवैध तंमचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नवाब उर्फ नब्बा पुत्र हनीफ निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत उम्र करीब 28 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- **01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर।**

गिरफ्तार अभियुक्त नवाब उर्फ नब्बा का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 133/17 धारा 398/401 भादवि थाना रमाला बागपत।

2.मु0अ0सं0 135/17 धारा 25 आयुध अधि0 थाना रमाला बागपत।

3.मु0अ0सं0 201/25 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना रमाला बागपतल।

4.मु0अ0सं0 204/26 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना रमाला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सनव्वर अली थाना रमाला जनपद बागपत।

2.है0का0 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत।

3.है0का0 753 संदीप थाना रमाला जनपद बागपत।